

रिपोर्ट पटवारी हल्का/आई0एल0आर0 यवरा / दीपपुरा

आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार श्रीमान जी पटवा मण्डल कराना के राजस्व ग्राम दीपपुरा के खाता नं 268 में खरेदार बंशी शिखपाल दर्ज रिकॉर्ड है जबकि खरेदार के अफवाकतापेजी में बंशीधर शिखपाल नाम है अतः प्रार्थी का नाम बंशीधर शिखपाल दुरुस्त किया जाना उचित है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

दिनांक :- 23.06.23

क्रमांक :- राजस्व/2020/ 236

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/सुचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिराया की जाती है / ~~की जाती है।~~

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023

तहसीलदार (भू.अ.)
उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

256
13/6/23

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)

:- आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी-सम्बत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	दीपपुरा	2075 2078	268	बंशी शिखपाल	बंशीधर शिखपाल

नोट :-शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

23/6/23

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

प्रभारी अधिकारी

प्रशासन गांवों के संग अभियान - 2023

उपखण्ड अधिकारी

उदयपुरवाटी

को सूचनार्थ।

क्रमांक :- राजस्व/2020/ 236

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया को सूचनार्थ।

23/6/23

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

प्रभारी अधिकारी

प्रशासन गांवों के संग अभियान - 2023

उपखण्ड अधिकारी

उदयपुरवाटी



α